दिनांकः 25.08.2022

पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त रामपाल मल्लाह अनुपस्थित है। अभियुक्त को फरार घोषित करते हुए मामले की कार्यवाही अंतर्गत धारा 299 दं०प्र०संहिता दिनांक 24.08.2022 को अग्रसारित की गयी थी तथा अभियोजन को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया था। अभियोजन द्वारा आज इस स्तर पर साक्ष्य नहीं देनी है का पृष्ठांकन आर्डरशीट की पुश्त पर किया गया है। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट हो चुका है कि अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में फरार है। अतः अभियुक्त रामपाल मल्लाह पुत्र फुन्दे लाल, निवासी बिरिया मौजा मल्लाहन पुरवा, थाना कोतवाली, जनपद औरैया के विरूद्ध स्थाई वारण्ट जारी किया जाकर संबंधित थाने को सूचित किया जाए। तद्नुसार पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०अधि०)/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–3
इटावा।